संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 3 / प.क / 2014 / 32 भोपाल दिनांक: 10/01/14

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषयः– इंडेमिनिटी स्कीम हेतु जिला गुणवत्ता सुनिश्चितता समिति एवं जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उपसमिति के गठन व कार्य दायित्व के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परिवार कल्याण योजनाओं के संचालन के दौरान स्थायी विधियों में हुई मृत्यू, जटिलता एवं असफल नसबंदी के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला गुणवत्ता सुनिश्चितता समिति का गठन निम्नानुसार करें:–

1. जिला कलेक्टर (अध्यक्ष)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (संयोजक)
3. जिला स्वास्थ्य अधिकारी / समकक्ष (सदस्य सचिव)
4. जिला स्तर के नोडल अधिकारी
5. पैनल में शामिल स्त्री रोग विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)
6. पैनल में शामिल शल्यक्रिया विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)
7. एक शिशु रोग विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)
8. एक निश्चेतना विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)
9. एक प्रतिनिधि नर्सिंग से
10. एक सदस्य मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पताल से / गैर सरकारी संगठन (हेल्थकेयर सेक्टर से)
11. एक प्रतिनिधि विधि शाखा से
12. एक प्रतिनिधि चिकित्सा पेशेवर निकायों से उदा. FOGSI/IMA/IAP/IAPSM/ Association of Public Health

तथापि DQAC के भीतर से बनाई गई 5 सदस्सीय जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप समिति हितग्राही के माध्यम से प्राप्त दावे और शल्य चिकित्सक एवं मान्यताप्राप्त संस्थाओं के विरुध्द की गई दावे / शिकायतों का निवारण, निपटारा और भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति "Manual for Family Planning Indemnity Scheme" अक्टूबर 2013 में निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार करेगी। इस उप समिति में निम्नलिखित का समावेश होगा:–

1. जिला कलेक्टर (अध्यक्ष)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (संयोजक)
3. जिला स्वास्थ्य अधिकारी / समकक्ष (सदस्य सचिव)
4. पैनल में शामिल स्त्री रोग विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)
5. पैनल में शामिल शल्यक्रिया विशेषज्ञ (सरकारी संस्थाओं से)